राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / एल.आर. / 3716 / 2005 / भीलवाडा

पांचूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर नि0भीलवाडा (फोत) के वारिसान–

1. मु0सजनीदेवी बेवा पांचूलाल
2. नन्दूदेवी पुत्री पांचूलाल
3. पारसीदेवी पुत्री पांचूलाल

4. जगदीशचंद
5. प्रेमचंद
6. कैलाशचंद
7. सुरेशचंद
8. मदनलाल

पिसरान पांचूलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी मुखर्जी पार्क के पास शाम की सब्जी मण्डी के पीछे, भीलवाडा

....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. नगर परिषद, भीलवाडा

.....रेस्पोडेन्ट

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, उप राजकीय अधिवक्ता
श्री शिवस्वरूप माथुर, अभिभाषक नगरपालिका

निर्णय **दिनांक 31.10.2018**

1. यह अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 130 / 04 में दिनांक 4–5–2005 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाडा में अवस्थित साबिक खसरा नंबर 547 रकबा 4 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अपीलांट पांचूलाल को दिनांक 18–7–1958 को आवंटित की गई थी। तभी से

यह भूमि उसके कब्जा में चली आ रही है। उक्त भूमि के नवीन खसरा नंबर 288 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये तथा यह भूमि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही सिवायचक दर्ज कर दी गई, जबकि भू प्रबन्ध अधिकारियों को ऐसा अधिकार नहीं था। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, भीलवाडा ने इस भूमि को सिवायचक मानते हुए प्रकरण संख्या 12–3 (ब) (94) आरए/02 दिनांक 8–7–2002 के द्वारा विवादग्रस्त अन्य सिवायचक भूमियों के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नगर परिषद भीलवाडा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित मूल्य पर आवंटित कर दी है। अपीलांट को जब इस आदेश की जानकारी हुई तो उसने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहां अपील पेश की, जो दिनांक 4–5–05 के आदेश के द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अतः मौजूदा अपील पांचूलाल ने पेश की थी, उसका निधन हो जाने के कारण अब वारिसान रिकार्ड पर हैं।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि निर्विवाद रूप से यह भूमि अपीलांट को आवंटित की गई थी। इसके बावजूद राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए अपीलांट की अपील यह लिखते हुए खारिज कर दी कि साबिक आराजी नंबर 547 के नवीन बंदोबस्त में खसरा नंबर कौनसे कायम हुए, यह अपीलांट साबित नहीं कर पाया है। इस आशय की फाइन्डिंग देने के बाद तो राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रकरण जांच हेतु जिला कलक्टर, भीलवाडा को लौटा देना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं करके विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत जिला कलक्टर आबादी प्रयोजनार्थ भूमि को केवल सेट अपार्ट कर सकते हैं। स्थानीय निकायों को भूमि आवंटन करने का अधिकार जिला कलक्टर में निहित नहीं होकर उक्त अधिनियम की धारा 102ए के तहत राज्य सरकार में निहित है। इस बात को राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में भी माना है फिर भी अपील खारिज कर दी गई, जिससे अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, जबकि अपीलांट गत 45 वर्षो से इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा वह By operation of law इस भूमि का खातेदार हो गया है। अतः निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 8–7–2002 व राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 4–5–2005 अपास्त किया जाए तथा यह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम

आवंटित करने के आदेश को निरस्त किया जाए एवं अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का विरोध किया है। उनका कथन है कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. जिला कलक्टर, भीलवाडा ने आदेश दिनांक 8–7–2002 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15–7–1974 के अनुसरण में ग्राम मलाण की सिवायचक काबिल काश्त कमाण्ड क्षेत्र की उस आदेश के संलग्न में वर्णित कुल 80 बीघा 10 बिस्वा भूमि नगर परिषद भीलवाडा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित मूल्य एवं पूंजीगत मूल्य जमा कराने की शर्त पर आरक्षण/आवंटित की थी। इस आदेश को मौजूदा अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। दिनांक 4–5–05 के निर्णय के द्वारा उसकी अपील खारिज की गई है। राजस्व अपील प्राधिकारी का आक्षेपित निर्णय 2 भागों में है, निर्णय के एक भाग में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत जिला कलक्टर को कृषि भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु स्थानीय निकायों को आवंटन करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 ए के तहत यह अधिकार राज्य सरकार में निहित है। इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी ने जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये हैं कि दिनांक 8–7–02 के आदेश को शुद्ध करते हुए राजकीय भूमियों को सेट अपार्ट करने का आदेश पारित किया जाए तथा जो भूमियां आबादी प्रयोजनार्थ स्थानीय निकायों को दी जानी है, उसके लिए धारा 102ए के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करे। राजस्व अपील प्राधिकारी का यह निर्णय विधिक प्रावधानों की व्याख्या है तथा आक्षेपित निर्णय के इस हिस्से से अपीलांट क्षुब्ध नहीं है। आक्षेपित निर्णय के दूसरे भाग में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है तथा जब तक सक्षम न्यायालय से अपीलांट को खातेदारी की डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसके इस भूमि में हित निहित नहीं है। इस निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलांट ने साबिक आराजी खसरा नंबर 547 स्वयं को अलोट होने की बात कही है। उक्त

भूमि खसरा नंबर 547 का कुल रकबा 50 बीघा 16 बिस्वा है, जिसमें से 36 बीघा जमीन कुशल सिंह नाम के व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा शेष 14 बीघा 16 बिस्वा में से अपीलांट को मात्र 4 बीघा जमीन आवंटित हुई थी। इसलिए कुशलसिंह के नाम दर्ज की गई जमीन खसरा नंबर 547/1 व 547 मि. में से नवीन बंदोबस्त में कौन–कौनसे नंबर बने तथा जो रकबा अपीलांट को आवंटित हुआ, उसकी लोकेशन कहां पर है, यह बात अपीलांट ने साबित नहीं की है। इसके अलावा अपीलांट ने साबिक नंबर का कोई नक्शा ट्रेस भी पेश नहीं किया, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि जो भूमियां जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 8–7–2002 में वर्णित हैं, उनमें अपीलांट को आवंटित भूमि भी शामिल है। इसलिए अपीलांट की प्रथम अपील उसको इस स्तर पर अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus Standi नहीं होने के कारण खारिज की गई है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने उचित कारण दर्शाते हुए उसकी प्रथम अपील खारिज की थी। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं था, जिसमें अपीलांट अपने किसी विधिक अधिकार का हनन होना साबित कर पाया हो। वैसे भी विद्वान प्रथम अपील अधिकारी ने अपीलांट को Remedy less नहीं रखा है बल्कि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये सभी तथ्य इस Summary Proceeding में तय नहीं हो सकते हैं बल्कि इसके लिए वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए तथा उनके खातेदारी अधिकारों की घोषणा हो जाने के बाद वह जिला कलक्टर के आदेश को चुनौती दे सकेगा। इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं है। अपील काबिले खारिज है।

8. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य